संख्या- 18/2018/514/71-1-2018-जी-28/2018

प्रेषक

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 15 फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3690, दिनॉक 06-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा में मानक मद-01-वेतन में रू0 100.00 लाख तथा 21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन में रू0 108.34 लाख कुल रू0 2,08,34,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख चौतीस हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, गोरखपुर में विभिन्न मानक मदों में रू0 2,08,34,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख चौतीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-379/दस-2018, दिनॉक 13 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-18/2018/514(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।